संख्या-27012/51/93-स्था0(क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

....

नई दिल्ली, दिनांक 9-5-94

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यावसायिक नियुक्ति की अनुमति देने की प्रक्रिया ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10, जो सेवानिवृत्त समूह "क" अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यावसायिक नियुक्ति को विनियमित करता है, को कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 18 अप्रैल, 1994 की अधिसूचना संख्या-27012/51/93-स्था0(क) (प्रति संलग्न) द्वारा संशोधित कर दिया गया है । जो 18 अप्रैल, 1994 को भारत के (असाधारण) राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू है और तदनुसार 18 अप्रैल, 1994 को अथवा इस तारीख के बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यावसायिक नियुक्ति के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोध संशोधित उपबंधों द्वारा शासित होंगे । उपर्युक्त अधिसूचना में दिए गए उपबंधों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को निम्नलिखित अनुदेश, सूचना, मार्गदर्शन तथा अनुपालन के लिए जारी किए जाते हैं ।

2. (क) उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा यथा- संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 10(4) में व्यावसायिक नियुक्ति पाने की अनुमति के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर ही सेवानिवृत्त अधिकारी को निर्णय से अवगत कराया जाना होगा । नियमों में आगे यह व्यवस्था है कि यदि सरकार निर्धारित समय-अवधि के भीतर निर्णय सूचित नहीं करती है तो ऐसा समझा जाएगा कि सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है । इन नियमों के अनिवार्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वे सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यावसायिक नियुक्ति से संबंधित अनुरोधों की शीघ्रातिशीघ्र जांच करें और निर्णय निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित करें ताकि भूलवश अनुमति देने की संभाव्यता से बचा जा सके ।

(ख) चूंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यावसायिक नियुक्ति की अनुमति के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर कार्यवाही करने के लिए 90 दिन की समय -सीमा का अनुसरण करना अनिवार्य है इसलिए मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करें कि

.....2/-

अनुरोध करने वाले प्रयोजक कार्यालय अपनी टिप्पणी सहित आवेदन भेजने में, आवेदन की प्राप्ति से 10 दिन से अधिक का समय न ले । मंत्री के आदेश प्राप्त करने सहित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग मामले की जांच में 30 दिन से अधिक समय न लें । जहां मामलों को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजा जाना अपेक्षित हो, वहां ऐसा संदर्भ 90 दिन की समय-सीमा की समाप्ति की नियत तारीख से कम से कम 30 दिन पहले प्रेषित किया जाए । जिन मामलों में प्रधान मंत्री का अनुमोदन अपेक्षित हो, वहां संदर्भ कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को 90 दिन की समय-सीमा की समाप्ति से कम से कम 45 दिन पहले भेजा जाए । सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी जाती है कि यह निर्धारित समय-सीमा अनिवार्य स्वरूप की है और इसलिए उपर्युक्त समय-सीमा का अनुसरण करना नितान्त आवश्यक है । यह अनिवार्य है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक नियुक्ति पाने के अनुरोधों पर अंतिम निर्णय उचित स्तर पर लिए जाएं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचित किए जाएं । उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार प्रक्रिया न अपनाने की स्थिति में विलंब के लिए जिम्मेवारी ठहरायी जाए । इस विषय से संबंधित दिनांक 13 अक्तूबर, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-27012/1/82-स्था0(क) सहित विभिन्न कार्यालय ज्ञापन इन अनुदेशों में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित किए जाते हैं ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को मार्गदर्शन तथा अनुपालन के लिए सावधानीपूर्वक नोट कर लें ।

कृष्ण मेनन

(कृष्ण मेनन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रति: नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
प्रति: संयुक्त सचिव(एस0 एण्ड वी0) को सूचनार्थ ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 8, 1994/चैत्र 28, 1916
No. 166] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 8, 1994/CHAITRA 28, 1916

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 18 अप्रैल 1994

सा. का. नि. 389(अ):— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 की धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियमावली 1994 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 10 के उप नियम (4) तथा इसके परन्तुक में "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर "नब्बे दिन" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या 27012/51/93-स्था. (क)]

जे. एस. माथुर संयुक्त सचिव

नोट :—मूल नियम दिनांक एक अप्रैल, 1972 अधिसूचना संख्या एस. ओ. 934 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे। नियमों का चौथा संस्करण (जुलाई, 1983 तक संशोधित) 1988 में प्रकाशित किया गया। ये नियम बाद में पेंशन व शिनभोगी कल्याण विभाग के नीचे दी गई अधिसूचना द्वारा संशोधित किये गये :—

1. सा. आ. संख्या 254 दिनांक 4-2-1989
2. सा. का. संख्या 970 दिनांक 6-5-1989
3. सा. आ. संख्या 2467 दिनांक 7-10-1989
4. सा. का. संख्या 899 दिनांक 14-4-1990
5. सा. आ. संख्या 1454 दिनांक 26-5-1990
6. सा. आ. संख्या 2339 दिनांक 6-9-1990
6. सा. आ. संख्या 3269 दिनांक 8-12-1990
8. सा.आ. संख्या 3270 दिनांक 8-12-1990
9. सा. आ. संख्या 3273 दिनांक 8-12-1990
10. सा. आ. संख्या 409 दिनांक 9-2-1991
11. सा. आ. संख्या 464 दिनांक 16-2-1991
12. एफ 7(14) पी तथा पी. डब्ल्यू/एफ/90 23-8-1991
13. एफ. 4(15) पी. तथा पी. डब्लयू. /88 डी. 9-10-91
14. एफ 7(10)-पी. तथा पी. डब्ल्यू/89-एफ. 28-11-1991
15. एफ 28(40) -पी. तथा पी. डब्ल्यू 88-बी 9-1-1992
16. एफ 38(189)पी. तथा पी. डब्ल्यू/88 एफ दिनांक 4-2-92
17. एफ 33/4/93-पी तथा पी. डब्ल्यू (जी) दि. 27-11-92
18. एफ 1 (10)-पी. तथा पी. डब्ल्यू/92-ई 31-12-93

19. एफ 1 (66) पी तथा पी. डब्ल्यू/89–ई दि 18-1-1993
20. एफ 1(65)पी तथा पी. डब्ल्यू/91–ई दि 19-5-1993
21. 3884 पी. तथा पी. डब्ल्यू /93 एफ दि 3-9-1993
21. एफ 38(34)पी. तथा पी. डब्ल्यू/93 एफ दि. 3-9-1993
22. एफ (सं. आ. सं. 1984) (3866/93 पी. तथा पी. डब्ल्यू (ए) दिनांक 13-9-1993

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064